उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक– 27700 /स्थापना/2020–21 दिनांकः– 8.12.2020

1. समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

कतिपय कार्मिकों द्वारा कोविड–19 के सम्बन्ध में अवकाश प्रार्थनापत्र प्रेषित किये जा रहे है, जिनका निस्तारण बैंक स्तर से किया जाना है। कोविड–19 के सम्बन्ध में उ0प्र0शासन, श्रम अनुभाग–3 के पत्र संख्या 09/2020/446/36–03–2020–30 (सा0)/2020 लखनऊ दिनांक 20 मार्च 2020 द्वारा जारी अधिसूचना के बिन्दु–1 के अनुसार **कोविड–19 से ग्रसित कर्मचारियों/कर्मकारों, जो कोविड–19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और पृथककरण में रखे गये हों, को उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किया जायेगा। ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमन्य होगा जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के पश्चात् अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदान/प्रस्तुत करेंगे।**

बैंक कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1975 एवं उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक कर्मचारी सेवा नियमावली, 2013 में वर्णित अवकाश व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित अवकाश अनुमन्य किए जाने की व्यवस्था है–

1. आकस्मिक अवकाश
2. अर्जित अवकाश
3. असाधारण अवकाश
4. चिकित्सा अवकाश
5. अध्ययन अवकाश
6. प्रसूति अवकाश
7. बाल्य देखभाल अवकाश

उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत संसूचित किया जाता है कि कोविड–19 से सम्बन्धित प्रकरण में शासनादेश संख्या 07/2020/964/77–6–2020 दिनांक 24 मार्च 2020 में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत बैंक कार्मिकों के चिकित्सा अवकाश/अर्जित अवकाश स्वीकृत किये जायेंगे।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(ए0के0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः– समस्त अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अभय सिंह)
महाप्रबन्धक (प्रशासन)

आई·टी·सेल मेल